प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 860 सन 2021
अनवान :–

1. जोधाराम पुत्र जीतराम जाति राईका निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. शेतानाराम पुत्र जीतराम जाति राईका निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 29.11.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 254/255 के खसरा न0 1022/10.284हैक्, खसरा न0 193/1422 की 2.3529हैक् कुल 12.6373हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में धुडाराम वल्द रावताराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में धुडाराम वल्द रावताराम के नाम से दर्ज है जो वादी के पूर्वज है धुडाराम वल्द रावताराम के पुत्र नही था धुडाराम वल्द रावताराम ने अपने जीवनकाल में अपनी स्वअर्जित भूमि की अपनी स्वैच्छा से एक वसीयत दिनांक 28.07.2020 को अपने भाई जीतराम के पुत्रों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के तहरीर करवाई जाकर पंजीबद्व करवाई गई थी।

धुडाराम वल्द रावताराम को देहान्त दिनांक 19.8.2020 को हो चुका है व धुडाराम वल्द रावताराम की पत्नी का भी देहान्त दिनांक 14.01.2018 को हो चुका है धुडाराम वल्द रावताराम के देहान्त होने के बाद धुडाराम वल्द रावताराम की वसीयत दिनांक 28.07.2020 के अनुसार वादी धुडाराम वल्द रावताराम की वाद भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया है इसलिये वादी धुडाराम वल्द रावताराम के आधार पर वाद भूमि अपने नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की धुडाराम वल्द रावताराम के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि धुडाराम वल्द रावताराम के नाम से दर्ज है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वज है जिनके कोई पुत्र नही था इसलिये धुडाराम वल्द रावताराम ने अपने जीवनकाल में अपनी स्वेच्छा से अपनी वाद भूमि की वसीयत अपने भाई के पुत्रों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में करवाई गई थी वर्तमान में धुडाराम वल्द रावताराम एवं उसकी पत्नी का देहान्त हो चुका है धुडाराम वल्द रावताराम के देहान्त होने पर धुडाराम वल्द रावताराम के द्वारा करवाई गई वसीयत प्रभावी होने के कारण वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 254/255 के खसरा न0 1022/10.284हैक , खसरा न0 193/1422 की 2.3529हैक कुल 12.6373हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में धुडाराम वल्द रावताराम के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि धुडाराम वल्द रावताराम के नाम से दर्ज है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वज है जिनके कोई पुत्र नही था इसलिये धुडाराम वल्द रावताराम ने अपने जीवनकाल में अपनी स्वेच्छा से अपनी वाद भूमि की वसीयत अपने भाई के पुत्रों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में करवाई गई थी वर्तमान में धुडाराम वल्द रावताराम एवं उसकी पत्नी का देहान्त हो चुका है धुडाराम वल्द रावताराम के देहान्त होने पर धुडाराम वल्द रावताराम के द्वारा करवाई गई वसीयत प्रभावी होने के कारण वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है वादी के कथनो का प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जाचुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम धुडाराम की वसीयत के अनुसार दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है ना ही कैम्प के दौरान किसी ने उक्त वसीयत के सम्बध में कोई ऐतराज पेश किया बल्की सहमति व्यक्त की गई है ।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 254/255 के खसरा न0 1022/10.284हैक , खसरा न0 193/1422 की 2.3529हैक कुल 12.6373हैक एवं रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 586/583 की कुल 17.5835हैक में से 87918/175835 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में धुडाराम वल्द रावताराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट...धानसिया

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
पर्चा डिक्री
(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. जोधाराम पुत्र जीतराम जाति राईका निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. शेतानाराम पुत्र जीतराम जाति राईका निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 860 सन 2021 निर्णय दिनांक–29.11.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अंभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 254/255 के खसरा न0 1022/10.284हैक , खसरा न0 193/1422 की 2.3529हैक कुल 12.6373हैक एवं रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 586/583 की कुल 17.5835हैक में से 87918/175835 भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में धुडाराम वल्द रावताराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.11.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....धानसिया